सूची'घ'

विभिन्न संदर्भो पर काउन्सिल की अनुमति/स्वीकृतियाँ

__ात्मक कार्यो को सशक्त बनाये जाने हेतु फीस स्ट्रक्चर का उन्नयन :-__

काउन्सिल के प्रकियात्मक कार्यो हेतु कास्ट निर्धारण के सम्बन्ध में बैठक दिनांक 3-10-2012 एवं चर्चा के कम में **आर्बीट्रेशन एण्ड कोन्सीलियेशन एक्ट,1996 की धारा-38 के प्राविधानों** के अन्तर्गत *बुल कास्ट* जमा कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त विधिक राय काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत की गयी। काउन्सिल द्वारा ..स्ट का निम्नवत *रिजनेबुल कास्ट स्ट्रक्चर लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी:-*

कमांक	मदें	वर्तमान स्ट्रक्चर	विचाराधीन/नवीन वादों के सम्बन्ध में काउन्सिल द्वारा अनुमोदित *कास्ट स्ट्रक्चर*
1	2	3	4
1	लागत एवं खर्चे (इनीशियल कास्ट)	रू0 2000/- मात्र एक मुश्त	एमाउण्ट स्लैब — इनीशियल कास्ट रू0 1. 00 से 10 लाख — *रू03,000/-* 2. 10 से 50 लाख — *रू05,000/-* 3. 50 से 1 करोड़ — *रू07,500/-* 4. 01 करोड़ से अधिक — *रू010,000/-*
2-	कोन्सीलियेशन कास्ट		-तदैव-
3-	लागत एवं खर्चे (इनीशियल कास्ट)	-तदैव-	आवेदक के समान विपक्षी से भी कास्ट जमा कराये जाने के प्रस्ताव पर बैठक दिनांक 19-11-2012 में निर्देश दिये गये कि आर्बीट्रेशन एण्ड कोन्सीलियेशन एक्ट,1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत रिजनेबुल कास्ट *स्ट्रक्चर* के सम्बन्ध में क्या आवेदक को निर्धारित कास्ट से कम कास्ट विपक्षी से जमा करायी जा सकती है। इस सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय। विधिक राय निम्नवत है:- *"उक्त एक्ट के विवेचन से यह अभिमत प्राप्त हुआ है कि स्टेट्यूटरी आर्बीट्रल ट्रिब्यूनल(काउन्सिल) द्वारा रिजनेबुल कास्ट (आर्बीट्रेटर व विटनेसेस की फीस एवं खर्चे,विधिक व्यय एवं खर्चे,प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षीय फीस अथवा उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्य सभी प्रकार के व्यय) पक्षकारों की सहमति अथवा स्वयं निर्धारित कर उभयपक्षों से बराबर-बराबर जमा करायी जानी चाहिये,यदि विपक्षी कास्ट जमा नहीं करता है तो उसकी कास्ट आवेदक से जमा करायी जा सकती है। काउन्टर क्लेम के सम्बन्ध में काउन्सिल द्वारा ससमय कास्ट निर्धारित की जा सकती है।* विधिक राय काउन्सिल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत। तदनुसार कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति काउन्सिल द्वारा प्रदान की गयी ।
4-	प्रमाणित प्रति कास्ट	1से 10 पेज तक के न्यूनतम रू0 100/-11 पेज से अधिक रू0 10/-प्रति पेज	*अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ पक्षकारों को उपलब्ध कराये जाने हेतु अभिलेख के प्रथम पृष्ठ से से 15 पृष्ठों तक के लिये न्यूनतम रू0 150/-तथा 16वें पृष्ठ से अधिक पर रू0 10/- प्रति पेज।*
5-	छाया प्रति कास्ट	अभी कोई नहीं है	*अभिलेखों की छाया प्रतियाँ उभयपक्षों को उपलब्ध कराये जाने हेतु अभिलेख के प्रथम पृष्ठ से 20 पृष्ठों तक के लिये न्यूनतम रू0100/-तथा 21 वें पृष्ठ से अधिक पर रू 05/- प्रति पेज ।*
6-	निरीक्षणशुल्क	रू0100/-	*रू0150/-प्रथम एक घन्टे के लिये तथा रू0 50/-प्रति अतिरिक्त घन्टा।*
7-	एवार्ड/ आदेश कास्ट	रू03000/- प्रति एवार्ड/ आदेश	आदेश आलेखन कास्ट आवेदक तथा विपक्षी से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय। प्राप्त विधिक राय के अनुसार *आदेश आलेखन हेतु कोई कास्ट जमा न कराई जाए क्योंकि सभी प्रकार के व्यय कास्ट के अन्तर्गत ही आते है।* प्राप्त विधिक राय काउन्सिल के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत की गयी। प्राप्त विधिक राय पर विचार कर काउन्सिल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी ।

संलग्न: विधिक राय

(सी0एस0 बग्गा)
मुख्य प्रबन्धक, यू.पी.एफ.सी./सदस्य
उ0प्र0 राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
सुकरता परिषद, कानपुर

(यू0के0 द्विवेदी)
अग्रणी जिला प्रबन्धक (बी.ओ.बी.)/सदस्य
उ0प्र0 राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
सुकरता परिषद, कानपुर

(सीताराम मीना)
आयुक्त एवं निदेशक उद्योग/अध्यक्ष
उ0प्र0 राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
सुकरता परिषद, कानपुर